विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0023012

श्री बाबूलाल सिंह वल्द गंगा सिंह, — **आवेदक**
हाल मुकाम – अमहा वेयर हाउस के पास,
लक्ष्मी कालोनी, सीधी
जिला – सीधी (म.प्र.)
पिन कोड – 486661

विरूद्ध

1. **अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त,**
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — **अनावेदकगण**
रीवा (म.प्र.) – 486001

2. **कार्यपालन यंत्री (उत्तर) संभाग,**
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
रीवा (म.प्र.) – 486001

आवेदक स्वयं उपस्थित।
अनावेदक की ओर से श्री अजय दुबे, एडवोकेट उपस्थित।

आदेश
(दिनांक 08.10.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के शिकायत क्रमांक 614/2010 श्री बाबूलाल सिंह विरूद्ध अधीक्षण यंत्री तथा अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2010 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसने घरेलू उपयोग के लिए विद्युत कनेक्शन लिया था, जिसका सर्विस क्रमांक 534703–72–17–14564 था, उसको दिया गया विद्युत प्रदाय अवरूद्ध हो गया था, जिसकी शिकायत उसने विद्युत वितरण केन्द्र हनुमना में की थी । उन्होंने सर्विस लाईन खराब होने की जानकारी दी थी, इसके बाद विद्युत प्रवाह चालू नहीं किया गया था । 1997 में आयी भीषण बाढ़ के कारण उसका भवन गिर गया था, सभी कागज नष्ट हो गये थे । इसके बाद आवेदक अपने परिवार के साथ ग्राम सरैया के अतिरिक्त दूसरी जगह रहने लगा था, लंबे अरसे पश्चात उसे विद्युत बिल प्राप्त हुआ था । अतः दिनांक 07.11.05, 05.05.08 और 11.11.09 को उक्त विद्युत बिल के संबंध

में आवेदन पत्र पेश कर जानकारी चाही थी, परन्तु उसे कोई जानकारी नहीं दी गई थी, अतः फोरम के समक्ष नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने का निवेदन उसके द्वारा किया गया है ।

3. मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यपालन यंत्री ने दिनांक 10.11.10 को फोरम के समक्ष इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया था कि उपभोक्ता का मकान बाढ़ से नहीं गिरा था, उसके द्वारा पुराना मकान गिराकर नया मकान बनाया गया है और उसी नए मकान में विद्युत कनेक्शन सर्विस क्रमांक 721714564 का उपयोग किया जा रहा है । लम्बे समय से विद्युत बिल का भुगतान न किए जाने के कारण दिनांक 17.07.10 को उसका कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया है । दिनांक 08.10.10 को निरीक्षण करने पर अवैध रूप से इसी कनेक्शन से विद्युत का उपयोग किया जाना पाए जाने पर उपभोक्ता बाबूलाल सिंह के भाई अरूण सिंह के विरूद्ध धारा 138 के तहत विद्युत चोरी का प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है । फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत को इस आधार पर निरस्त किया है कि बिजली बिल का भुगतान न होने दिनांक 17.07.10 से कनेक्शन अस्थाई रूप से काट दिया गया है तथा उपभोक्ता के भाई अरूण सिंह के विरूद्ध धारा 138 के तहत विद्युत चोरी का प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है, अतः उपभोक्ता की शिकायत को फोरम ने इस आधार पर निरस्त किया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने से शिकायत पर विचार करने का क्षेत्राधिकार फोरम को नहीं है ।

4. फोरम के उक्त आदेश से असंतुष्ठ होकर उपभोक्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है । अभ्यावेदन का जवाब भी अनावेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है । उपभोक्ता ने मकान के गिरने के संबंध में भी प्रमाण पत्र पेश किया है ।

5. उपभोक्ता की शिकायत अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के जवाब तथा फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता की वास्तविक शिकायत क्या है इसके संबंध में अनुज्ञप्तिधारी तथा फोरम द्वारा विचार नहीं किया गया है । उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष जो लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी उसका अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता के यहां जो कनेक्शन दिया गया था उस कनेक्शन से विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही थी । उपभोक्ता द्वारा इस बात की शिकायत किए जाने पर उसे यह जानकारी दी गई थी कि सर्विस लाईन खराब होने के कारण विद्युत प्रवाह अवरूद्ध है तथा जब तक सर्विस लाईन में सुधार नहीं होता तब तक विद्युत प्रवाह प्रारंभ नहीं किया जा सकता है । इसके बाद बाढ़ आने से उसका भवन जिसमें कनेक्शन लगा था गिर गया था । उपभोक्ता ने लम्बे समय तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की थी । उसे कोई विद्युत देयक भी नहीं दिया गया था । 2005 में विद्युत देयक प्राप्त होने पर उनके संबंध में विद्युत वितरण कम्पनी से जानकारी चाही थी, परन्तु उसे कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि :–

(1) अन्तिम बार उपभोक्ता ने विद्युत देयक का भुगतान कब किया था तथा उपभोक्ता द्वारा अन्तिम बार भुगतान करने के कितने दिन बाद उसका विद्युत प्रवाह अवरूद्ध किया गया था ।

(2) विद्युत प्रवाह अवरूद्ध किए जाने की दिनांक को उपभोक्ता के विरूद्ध कितनी राशि का विद्युत देयक शेष था ? ।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

6. **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 तथा 2 का विवेचन :–**

उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने से इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है कि उपभोक्ता के परिसर में दिए जाने वाले विद्युत प्रवाह सर्वप्रथम किस वर्ष के किस माह से अवरूद्ध हुआ था ? उपभोक्ता ने विद्युत वितरण कम्पनी के समक्ष अन्तिम बार कितनी राशि के बिल का भुगतान किया था तथा दिनांक 17.07.10 को कनेक्शन काटे जाते समय उपभोक्ता पर कितनी राशि का देयक शेष था ? ।

7. विद्युत वितरण कम्पनी के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा फोरम के समक्ष तथा उपभोक्ता द्वारा फोरम के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते समय तक इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई कि उन्हें उपभोक्ता से विद्युत देयक के रूप में कितनी राशि वसूल पाना है ।

8. फोरम के आदेश का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करने के कारण उपभोक्ता के भाई के विरूद्ध विद्युत चोरी का प्रकरण न्यायालय में लंबित है । उपभोक्ता के विरूद्ध विद्युत चोरी का कोई प्रकरण लंबित नहीं है, ऐसी स्थिति में फोरम ने शिकायत को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर होने का निष्कर्ष किस आधार पर लिया है यह समझ से परे है । वस्तुतः उपभोक्ता ने जो शिकायत की थी उसका निराकरण गुण–दोषों के आधार पर किया जा सकता था, परन्तु फोरम ने शिकायत को क्षेत्राधिकार के बाहर होने का निष्कर्ष देकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है ।

9. उपभोक्ता ने इस तथ्य का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया कि पहली बार विद्युत प्रवाह अवरूद्ध होने पर उसने कब इसकी सूचना विद्युत वितरण कम्पनी के उत्तरदायी अधिकारियों को दी थी, उसके द्वारा इस तथ्य का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया कि सन् 1997 में मकान गिर जाने पर उसने विद्युत प्रवाह अवरूद्ध होने की सूचना विद्युत वितरण कम्पनी को दी थी । अतः उपभोक्ता का यह कथन कि सर्विस लाईन खराब होने के कारण उसका विद्युत प्रवाह अवरूद्ध हो गया था या 1997 में भवन गिर जाने के कारण वह विद्युत का उपयोग नहीं कर रहा था, को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है ।

10. उपभोक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि 2005 में विद्युत बिल की जानकारी होने पर उसने 07.11.2005, 05.05.2008 एवं 11.09.09 में उक्त विद्युत बिल के संबंध में आपत्ति तथा जानकारी

विद्युत वितरण कम्पनी से चाही थी, परन्तु उसे इस विषय में अवगत नहीं कराया गया था । उपभोक्ता के इस अभिकथन का खण्डन अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से नहीं किया गया है, जबकि उपभोक्ता ने दिनांक 07.11.05 को विद्युत मण्डल के कनिष्ठ यंत्री को लिखित पत्र की छायाप्रति, दिनांक 05.05.08 को कनिष्ठ यंत्री को लिखित पत्र की छायाप्रति तथा दिनांक 11.11.05 को कनिष्ठ यंत्री को लिखित पत्र की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है । उक्त पत्र की प्रति संभागीय यंत्री तथा सहायक यंत्री को भी दी गई है । उपभोक्ता ने तत्संबंध में यू.पी.सी. की पावती रसीद की छायाप्रति भी प्रस्तुत की है । अनावेदक द्वारा इन तथ्यों का खण्डन नहीं किए जाने से यह साबित होता है कि उपभोक्ता ने विद्युत देयक के संबंध में दिनांक 07.11.05 को अनावेदक के यहां आपत्ति प्रस्तुत की थी, परन्तु उपभोक्ता द्वारा दिनांक 05.05.08 एवं 11.09.09 को पत्र लिखा जाने के बाद भी अनावेदकगण द्वारा तत्संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ।

11. अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने पर उपभोक्ता ने विद्युत देयक की प्रति पेश की है । यह विद्युत देयक 10 जनवरी 05 को जारी किया गया था तथा देयक राशि 18005.00 थी । उक्त देयक में वर्णित राशि का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया गया, इसकी कोई जानकारी अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत जवाब से प्राप्त नहीं होती है । इस देयक का अवलोकन करने से यह भी पाया जाता है कि देयक में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किए जाने वाले यूनिट नहीं दर्शाए गए हैं और बिल का आधार मिनिमम चार्जेज बताया गया है अर्थात् उपभोक्ता द्वारा उपभोग किए गए विद्युत ऊर्जा का रीडिंग के आधार पर उक्त देयक जारी नहीं किया गया है । इस देयक से यह भी साबित होता है कि ऐसा देयक जारी किए जाने के पूर्व से उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग नहीं किया जा रहा था ।

12. उपभोक्ता की ओर से इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया कि उसके यहां पहली बार विद्युत का प्रवाह कब अवरूद्ध हुआ था । उसके द्वारा इस तथ्य का भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसने 07.11.05 के पहले विद्युत मण्डल को विद्युत का उपयोग न करने की सूचना दी थी, ऐसी स्थिति में यही माना जाएगा कि दिनांक 07.11.05 के पूर्व उसने विद्युत का विच्छेदन नहीं कराया था ।

13. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 10.17 के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम 3 माह की अवधि तक उपभोक्ता द्वारा विद्युत देयक का भुगतान करने में चूक की जाती है तो उसके कनेक्शन को अस्थाई रूप से विच्छेदित किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में 10 जनवरी, 2005 को उपभोक्ता को जो देयक जारी किया गया था उसका भुगतान न होने पर 3 माह के अन्दर उपभोक्ता के विद्युत का विच्छेदन किया जाना चाहिए था । वर्ष 2010 तक विद्युत का विच्छेदन किए जाने की प्रतीक्षा किए जाने का कोई औचित्य

नहीं था, ऐसी स्थिति में यदि 10 जनवरी 2005 के बाद विद्युत का विच्छेदन नहीं किया गया था तो उसके लिए विद्युत वितरण कम्पनी उपभोक्ता से चार्ज वसूल पाने की अधिकारी साबित नहीं होती है । परन्तु दिनांक 10 जनवरी, 2005 के पूर्व उपभोक्ता द्वारा विद्युत विच्छेदन की सूचना न दिए जाने के कारण दिनांक 10 जनवरी, 2005 को जो देयक जारी किया गया था उस देयक में वर्णित राशि अदा करने के लिए उपभोक्ता उत्तरदायी होना साबित होता है ।

14. अतः आवेदक उपभोक्ता का अभ्यावेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि 10 जनवरी 2005 को अनावेदक द्वारा उपभोक्ता को रू. 18005.00 का जो देयक जारी किया गया था उसके अतिरिक्त अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी उपभोक्ता से कोई राशि वसूल पाने की अधिकारी नहीं है।

15. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल